

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-05
संख्या- /XXVIII(5)/2024(E-33928)

देहरादून: दिनांक : अगस्त, 2024

प्रकीर्ण

राजकीय मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार में 100 एम0बी0बी0एस0 प्रशिक्षु क्षमता के संचालन हेतु आवश्यक पदों के सृजन के संबंध में निर्गत शासनादेश सं0-180635/XXVIII(5)/2024 (E-33928) दिनांक 09 जनवरी, 2024 के प्रस्तर-1(ब) में सारणी क्रमांक-5 पर अंकित स्टाफ नर्स के पद को बिना वेतनमान के आउटसोर्स के माध्यम से भरे जाने हेतु सृजित किया गया है।

2- शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में राजकीय मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार के ढांचे में सृजित स्टाफ नर्स के पद का वेतनमान-44,900-1,42,400 (लेवल-7) तथा भर्ती का स्रोत को आउटसोर्स के स्थान पर सीधी भर्ती में संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- शासनादेश सं0-180635/XXVIII(5)/2024 (E-33928) दिनांक 09 जनवरी, 2024 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा उक्त शासनादेश के शेष प्राविधान यथावत रहेंगे। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-229349/XXVII(7)/2024 दिनांक 29 जुलाई, 2024 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

(डॉ0 आर0 राजेश कुमार)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल।
- 3- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 4- निजी सचिव, मा0 चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 5- जिलाधिकारी, हरिद्वार।
- 6- निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, देहरादून।
- 7- प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार।
- 8- निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 9- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, हरिद्वार।
- 10- गार्ड फाईल।